ont>

Title: Regarding non-payment of minimum daily wages to workers by certain Government/Semi Government organisations

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 50 रुपए निर्धारित की है। पिछले दिनों महामहिम राष ट्रपति जी ने जब संयुक्त सदन को सम्बोधित किया तो यह कहा कि संपूर्ण देश में न्यूनतम मजदूरी 50 रुपए है, यह देनी सुनिश्चित की जा रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के इस निर्देश का उल्लंघन हो रहा है।

मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मंडी परिद, जो कृाि मंत्रालय के अधीन है, वहां पर जो डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर्स हैं, उन्हें 35 रुपया प्रतिदिन दैनिक मजदूरी दी जा रही है। केवल डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरों को ही नहीं, मंडी परिद के अन्दर जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको 35 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जा रही है। इससे ज्यादा शोाण, इससे ज्यादा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। पढ़े-लिखे नौजवानों का शोाण हो रहा है, जो श्रम के रूप में अपना पसीना बहाने वाले लोग हैं, उनका शोाण हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश मंडी परिद के अन्दर दैनिक श्रमिक के रूप में 35 रुपये मजदूरी जिन लोगों के द्वारा दी जा रही है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का कार्य करे और यह शोाण तत्काल बन्द करने का कार्य करे।